

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT**

NOTIFICATION

Jaipur, February 24, 2021

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby authorises the District Transport Officer to compound the offences found committed on or before 31.01.2021 under clause (b) of sub-section (3) of section 113 of the said Act, on the basis of information received through e-ravanna of Mines Department, for the compounding amount as specified in column 3 of the table given below, subject to the amount specified in column 4 of the said table.

Table

S. No.	Total compounding amount payable for a vehicle upto 31.01.2021 on the basis of this department's notification No.F.7(47)pari/rules/HQ/Part/12409 dated 08.07.2020 (in Rs.)	Compounding amount (percentage of amount payable for a vehicle upto 31.01.2021 on the basis of this department's notification No.F.7(47)pari/rules/HQ/Part/12409 dated 08.07.2020)	Minimum payable Compounding amount (in Rs.)
1	2	3	4
1.	Upto 1 lakh	25%	5500/-
2.	Above 1 lakh and upto 10 lakh	10%	25000/-
3.	Over 10 lakh and upto 25 lakh	8%	115000/-
4.	Above 25 lakh and upto 50 lakh	6%	235000/-
5.	Above 50 lakh and upto 75 lakh	4%	385000/-
6.	Over 75 lakh and upto 1 crore	2%	485000/-
7.	More than 1 crore	1%	535000/-

This notification shall remain effective upto 31.03.2021.

[No.F.7(47)/pari/rules/Hqrs/87/part-1/2]

By Order of the Governor,



(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, खान विभाग के ई-रवन्ना के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर 31.01.2021 को या उससे पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 113 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन कारित अपराधों का शमन करने के लिए, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट रकम के अध्यक्षीन रहते हुए उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में यथाविनिर्दिष्ट शमन रकम के लिए, इसके द्वारा जिला परिवहन अधिकारी को प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	इस विभाग की अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./पार्ट/12409 दिनांक 08.07.2020 के आधार पर 31.01.2021 तक यान के लिए संदेय कुल शमन रकम (रु. में)	शमन रकम (इस विभाग की अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./पार्ट/12409 दिनांक 08.07.2020 के आधार पर 31.01.2021 तक यान के लिए संदेय रकम का प्रतिशत)	न्यूनतम संदेय शमन रकम (रु. में)
1	2	3	4
1.	1 लाख तक	25 प्रतिशत	5500/-
2.	1 लाख से अधिक और 10 लाख तक	10 प्रतिशत	25000/-
3.	10 लाख से अधिक और 25 लाख तक	8 प्रतिशत	115000/-
4.	25 लाख से अधिक और 50 लाख तक	6 प्रतिशत	235000/-
5.	50 लाख से अधिक और 75 लाख तक	4 प्रतिशत	385000/-
6.	75 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक	2 प्रतिशत	485000/-
7.	1 करोड़ से अधिक	1 प्रतिशत	535000/-

यह अधिसूचना 31.03.2021 तक प्रवृत्त रहेगी।

[प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/2]

राज्यपाल के आदेश से,


(महेन्द्र कुमार खीची)
संयुक्त शासन सचिव